सोशल मीडिया सेल परिक्षेत्र आजमगढ़

PRESS NOTERANGEAZAMGARH

जनपद-मऊ/बलिया प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 21.01.2025

जनपद –मऊ

1. फ्रॉडर द्वारा वाट्सअप कॉल कर वादी की पत्नी से फोन में फर्जी एप डाउनलोड करा कर निकाले गये कुल धनराशि 76,000 रुपये थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दोहरीघाट साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए फ्रॉडर द्वारा वाट्सअप कॉल कर वादी की पत्नी से फोन में फर्जी एप डाउनलोड करा कर निकाले गये, पीडित सचिन पटेल निवासी सुरजपुर थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कुल धनराशि 76,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दोहरीघाट के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना दोहरीघाट, क0आ0 सुनील कुमार, म0आ0 प्रज्ञा शुक्ला, का0 अमित मिश्रा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

जनपद – बलिया

1.थाना फेफना जनपद बलिया पुलिस द्वारा थाना फेफना मे पंजीकृत मु0अ0सं0 13/25 धारा 109,116,309(6),118(1),352,115(2),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 750 रु0 नकद बरामद किया गया ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) बलिया श्री कृपाशंकर व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी सदर श्री श्यामकान्त महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक फेफना श्री बृजमोहन सरोज के नेतृत्व में दिनांक 19.01.2025 को वादी श्री खेताराम पुत्र बीरमा राम ग्राम कुडला थाना रिको जनपद बाड़मेर (राजस्थान) के तहरीरी सूचना पर थाना फेफना में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/25 धारा 109,116,309(6),118(1),352,115(2) बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्तगण 1. अभिषेक पासवान पुत्र भूपेन्द्र कुमार सा0 हसनपुरा थाना फेफना जनपद बलिय उम्र 18 वर्ष , 2. दुर्गेश सैनी पुत्र संजीव सैनी सा0 इन्दरपुर थाना फेफना जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष को ग्राम थम्हनपुरा चट्टी के निकट पुलिया के किनारे से थाना फेफना के पास से थाना फेफना पुलिस टीम के उ0नि0 शिवम् कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 फौजदार यादव व का0 हरिशचन्द्र मय जीप सरकारी चालक का0 विक्की यादव के द्वारा दिनांक 19.01.2025 को समय 19.15 बजे गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूट के 2000 रूपये में से अभियुक्त अभिषेक पासवान उपरोक्त के पास से लूट के 400 रूपये व अभियुक्त दुर्गेश सैनी उपरोक्त के पास से लूट के 350 रूपये कुल 750 रू0 बरामद करते हुए धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी कर अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया ।

सम्बन्धित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 13/25 धारा 109,116,309(6),118(1),352,115(2),317(2) बीएनएस थाना फेफना, बलिया

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक पासवान पुत्र भूपेन्द्र कुमार सा0 हसनपुरा थाना फेफना जनपद बलिय उम्र 18 वर्ष
2. दुर्गेश सैनी पुत्र संजीव सैनी सा0 इन्दरपुर थाना फेफना जनपद बलिया उम्र करीब 19 वर्ष

बरामदगी-

1. लूट के 400 रुपया (बकब्जा अभियुक्त अभिषेक पासवान)
2. लूट के 350 रूपये (बकब्जा अभियुक्त दुर्गेश सैनी) कुल 750 रूपये बरामद

2. थाना हल्दी जनपद बलिया पुलिस, एस0टी0एफ0 व आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 301 पेटी (कुल 2600.64 लीटर अवैध शराब बरामद।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बलिया श्री ओमवीर सिंह के कुशल निर्देशन में मादक पदार्थो के निष्कर्षण व तस्करी के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री कृपा शंकर के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी बैरिया श्री मो0 उस्मान के कुशल नेतृत्व में थाना हल्दी पुलिस टीम को मिली सफलता।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 20.01.2025 को थाना हल्दी पुलिस टीम के थानाध्यक्ष श्री मिथिलेष कुमार मय हमराह व एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के उ0नि0 फैजुद्दीन सिद्दीकी मय हमराह व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक श्री विनय कुमार राय मय हमराह के संयुक्त टीमों द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बताये हुए मकान के कमरे की तलाशी ली गई तो उसमें से आफ्टर डार्क ब्राण्ड की 150 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 सी0सी0 कुल 7200 सी0सी0 प्रत्येक 180 एम0एल0 कुल 1296 लीटर तथा 8 पीएम ब्राण्ड की कुल 151 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 पीस टेट्रा पैक कुल 7248 पैक प्रत्येक पैक में 180 एम0एल0 कुल 1304.64 लीटर (सम्पूर्ण शराब की मात्रा 2600.64 लीटर) बरामद कर लिया गया व मौके पर अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र कुमार पासवान उर्फ राजेश पुत्र सीताराम पासवान निवासी ग्रा0 कछुआ पो0 बसरिकापुर थाना दुबहड़ जनपद बलिया 2. राकेश कुमार सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह निवासी ग्रा0 गोनिया छपरा थाना बैरिया जनपद बलिया 3. अभिषेक ठाकुर पुत्र अशोक ठाकुर निवासी ग्राम बिलहारी थाना हल्दी जनपद बलिया को समय 01.45 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 16/2025 धारा 318(2),319(2),62(2)(a) बीएनएस एवं 60/63 आबकारी अधिनियम उ0प्र0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 16/2025 अन्तर्गत धारा 318(2)/319(2)/61(2)(a) बीएनएस एवं 60/63 आबकारी अधिनियम थाना हल्दी बलिया।

अभियुक्तगण का विवरण

1. राजेन्द्र कुमार पासवान उर्फ राजेश पुत्र सीताराम पासवान निवासी ग्रा0 कछुआ पो0 बसरिकापुर थाना दुबहड़ जनपद बलिया बताया उम्र 32 वर्ष।
2. राकेश कुमार सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह निवासी ग्रा0 गोन्हिया छपरा थाना बैरिया जनपद बलिया बताया उम्र40 वर्ष
3. अभिषेक ठाकुर पुत्र अशोक ठाकुर निवासी ग्राम बेलहरी थाना हल्दी जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष।

बरामदगी-

1. आफ्टर डार्क ब्राण्ड की 150 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 सी0सी0 कुल 7200 सी0सी0 प्रत्येक 180 एम0एल0 कुल 1296 लीटर अवैध शराब।

2. 8 पीएम ब्राण्ड की कुल 151 पेटी प्रत्येक पेटी में 48 पीस टेट्रा पैक कुल 7248 पैक प्रत्येक पैक में 180 एम0एल0 कुल 1304.64 लीटर अवैध शराब।
(कुल 2600.64लीटर)

3.श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान "OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मामले में मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 01 नफर अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 20.01.2025 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 193/2007 धारा-2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 01 नफर अभियुक्त 1. नन्द लाल उर्फ सुकठ पुत्र धर्मदेव गोड़ निवासी बड़ी मस्जिद के पास थाना रेवती जनपद बलिया को मा0 न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा-
धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन अधिकारी- विशेष लोक अभियोजक- श्री अजय कुमार तिवारी